पत्र सं 1/2(55)2020-रा.म.आ.(प्रशा.)
राष्ट्रीय महिला आयोग
भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025
(प्रशासन अनुभाग)

12 मई, 2020

सेवा में,
निदेशक (सीएस)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन
नई दिल्ली– 110003

विषय: संविदा के आधार पर विशेष संवक्ता (रिपोर्टर) की नियुक्ति

महोदय,

कानूनी आयोग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करने, विद्यमान विधानों का पुर्नविलोकन और उनमें संशोधन की सिफारिश करने, महिलाओ के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों पर विचार करने और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियमित विधानों के उचित कार्यान्वयन को मॉनीटर करने जिससे कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकें और विकास की प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें, की गई है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्रीय/राज्य सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जो भारत सरकार में निदेशक से कम स्तर के नीचे के न हो या ख्यातिप्राप्त कोई शिक्षाविद् या ऐसा कोई प्रख्यात व्यक्ति जिसे लिंग और मानवीय अधिकारों से संबंधित विषयों में व्यावहारिक अनुभव हो या इस कार्यक्षेत्र का कोई विशेषज्ञ, विशेष संवक्ता के रूप में, विशेष संवक्ता (रिपोर्टर) को, नियुक्त करने की प्रस्थापना करता है।

3. आवेदनपत्र के विज्ञापन की प्रति उपाबंध । और ।। के रूप में संलग्न है।

4. आपसे अनुरोध है कि इस विज्ञापन से रिक्त पद को पात्र अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसे डी.ओ.पी.टी. की वेबसाइट पर डालने की कृपा करें।

भवदीया

संलग्न : यथा उपरोक्त

(प्रीति कुमार)
अवर सचिव

इसी प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:
सभी मंत्रालयों/विभाग के अवर सचिव

उपाबंध-I

पत्र सं 1/2(55)2020-रा.म.आ.(प्रशा.)

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली-110025

(प्रशासन अनुभाग)

12 मई, 2020

रिक्ति सूचना

कानूनी आयोग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करने, विद्यमान विधानों का पुर्नविलोकन और उनमें संशोधन की सिफारिश करने, महिलाओ के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों पर विचार करने और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियमित विधानों के उचित कार्यान्वयन को मॉनीटर करने जिससे कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकें और विकास की प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें, की गई है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग चयनित/चिह्नित मनोरोग संस्थाओं में महिलाओं की दशा को मानीटर करने के लिए आरंभ में यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतिम आहरित अंतिम वेतन में से मूल पेंशन कम करके और महंगाई भत्ता जोड़कर की दर से समेकित मासिक मानदेय पर संविदा के आधार पर विशेष संवक्ता (रिपोर्टर) को नियुक्त करने की प्रस्थापना करता है। कुल पारिश्रमिक 70,000 रूपये (सत्तर हजार रूपये) से अधिक नहीं होगा जिसमें फील्ड स्तर पर कार्य को सुकर बनाने के लिए अनुसचिवीय या अन्य व्यय भी सम्मिलित है। पात्र अभ्यर्थी विहित प्रारूप में तारीख 12-06-2020 तक अपना जीवन-वृत्त सुश्री प्रीति कुमार, अवर सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025 को प्रेषित कर सकते हैं। सभी पदों की तैनाती नई दिल्ली में की जाएगी ।

3. विशेष संवक्ता (रिपोर्टर) की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रारूप/अन्य पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

पद का नाम	पात्रता कसौटी
विशेष संवक्ता (रिपोर्टर)	केंद्रीय/राज्य सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जो भारत सरकार में निदेशक से कम स्तर के नीचे के न हो या ख्यातिप्राप्त कोई शिक्षाविद् या ऐसा कोई प्रख्यात व्यक्ति जिसे लिंग और मानवीय अधिकारों से संबंधित विषयों में व्यावहारिक अनुभव हो या इस कार्यक्षेत्र का कोई विशेषज्ञ, विशेष संवक्ता के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। **पदावधि और पारिश्रमिक** आरंभ में यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतिम आहरित अंतिम वेतन में से मूल पेंशन कम करके और महंगाई भत्ता जोड़कर की दर से समेकित मासिक मानदेय पर संविदा के आधार पर विशेष संवक्ता (रिपोर्टर) को नियुक्त करने की प्रस्थापना की जाएगी। कुल पारिश्रमिक 70,000/-रूपये (केवल सत्तर हजार रूपये) से अधिक नहीं होगा जिसमें फील्ड स्तर पर कार्य को सुकर बनाने के लिए अनुसचिवीय या अन्य व्यय भी सम्मिलित है।

उद्देश्य:

(i) संवक्ता दारी आयोगकी प्राथमिक जिम्मे (रिपोर्टर)द्वारा चिह्नित किए गए चयनित मनोरोग संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति और दशा सुधारने के संबंध में ''परीक्षा, मानीटर, मूल्यांकन, सलाह और रिपोर्ट'' देने की है और ''विशेष प्रक्रियाओं द्वारा किए गए क्रियाकलाप'' जैसे कि दौरा करना और चिह्नित संस्थाओं के सहयोग से अपेक्षित कार्य करना और लिंगदृष्टिकोण से उद्भुत होने वाले (जेंडर) विवाद्यकों पर सलाह देना ।

(ii) स्वाधार गृह, कारागारों, विधवा गृहों और मनोरोग अस्पतालों/गृहों की कार्यपद्धति के संबंध में कार्य करना।

(iii) संबंधित संस्थाओं/प्राधिकारियों से संबंधित मुद्दों से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाना और नीतियों पर कार्य करना तथा रिपोर्टों का संकलन।

(iv) लंबे समय तक रूकने वाली महिला संवासियों के लिए पुनर्वास और छुट्टी देने की योजना का पुनर्विलोकन।

(v) संस्थागत ढांचे में सुधार करने की दृष्टि से भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करना।

(vi) एसिड हमलों से संबंधित मामलों को मानीटर करना।

(vii) महिलाओं को सशक्त करने और उनकी आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने की दृष्टि से महिला-उन्मुखी उद्यमों में सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचे की जांच करना।

(viii) महिला किसानों तक पहुंच बनाने उनकी सामाजिक स्थिति और क्षमता निर्माण से संबंधित नीतिगत ढांचे की जांच करना।

(ix) भारत में महिलाओं द्वारा इन्टरनेट और डिजीटलीकरण के उपयोग की देखरेख करना विशेष रूप से साइबर स्पेस में धमकियों के संदर्भ में उनकी जागरूकता बढ़ाना।

(x) आयोग द्वारा विनिश्चित कोई अन्य विषय किया जाए ।

इन क्रियाकलापों के अन्तर्गत आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार सहभागियों के साथ परामर्श आयोजित, साहित्यिक लेखों का पुनर्विलोकन और नीतिगत कागजपत्रों, सुविधाओं का निरीक्षण करना भी है।

(प्रीति कुमार)
अवर सचिव

उपाबंध-।।

प्रोफार्मा

(1) नाम :

(2) टेलीफोन नं. के साथ डाक पता :

(3) जन्म की तारीख :

(4) शैक्षणिक अर्हताएं :

(5) विशेष अर्हता, यदि कोई है :

(6) कम्प्यूटर/आई.टी. का कार्यकारी ज्ञान :

(7) आहरित वेतन के साथ विगत सेवाओं के ब्यौरे :

क. (पूर्व पद से शुरू करें)

(8) विद्यमान पद का नाम और नियोजक, यदि कोई है :

(9) नियुक्ति की प्रकृति :

(10) वेतनमान :

(11) किए गए कर्तव्यों की प्रकृति (संक्षेप में) :

(12) टिप्पणी (यदि कोई है) :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

(टिप्पणी : अपेक्षित जानकारी देने के लिए अतिरिक्त शीट संलग्न करें) ।